न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 27--तीन/1987 विरूध्द आदेश दिनांक 18 06 87 पारित अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 64/85 86 अपील

रमेशचन्द्र पुत्र नाथूलाल,
नि0 ग्राम संगवता, तह0 सारंगपुर,
जिला राजगढ, म0प्र0

आवेदक

विरूध्द

1 देवी लाल पुत्र जगन्नाथ (मृत) वारिसान
श्रीमती कलाबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि देवी लाल
2– श्रीमती कंवरीबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि रामप्रसाद
3– श्रीमती शांतिबाई पुत्री जगन्नाथ
4– श्रीमती जतनबाई पुत्री जगन्नाथ
5– श्रीमती बबूटीबाई पुत्री जगन्नाथ
समस्त निवासी ग्राम खंडावता, तह0 सारंगपुर,
जिला राजगढ, म0प्र0

अनावेदकगण

श्री के0डी0 दीक्षित अभिभाषक आवेदक
श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभिभाषक अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 23.1 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर

आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के अपील प्रकरण क0 64/1985 86 में पारित आदेश दिनांक 18-07-87 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक रमेशचन्द्र ने कलेक्टर राजगढ के आदेश दिनांक 30–10–85 से असन्तुष्ट होकर निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 05–03-87 द्वारा दिनांक 30–4–87 तक अथवा वर्तमान खड़ी फसल के कटने तक के लिये अधीनस्थ न्यायालय के कब्जा से बेदखल के आदेश का रोके जाने के आदेश दिये। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 18-6-87 द्वारा स्थगन आगे बढ़ाने का औचित्य नही होने से स्थगन आवेदन खारिज किया है। इस आदेश के विरूध्द आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखो का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा है और स्थगन के अभाव में उसे कब्जे से बेदखल कर दिया जायेगा, इस कारण अपर आयुक्त व्दारा स्थगन निरस्त करने में भूल की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकों के अभिभाषक का यह तर्क है कि भूमि का अन्तरण संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत कलेक्टर की अनुमति लिये बिना किये जाने से अन्तरण अवैध है और प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक को कोई वैधानिक स्वत्व प्राप्त नहीं है, इसलिये अपर आयुक्त व्दारा स्थगन खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि अन्तरण संहिता की धारा 165(6) के प्रावधानों के विपरीत होने से

नामान्तरण निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि देवीसिंह (आदिवासी) के नाम अंकित करने के आदेश अनुविभागीय अधिकारी ने दिये हैं, जिसे अपील में कलेक्टर व्दारा यथावत रखा गया है। प्रश्नाधीन भूमि का अन्तरण किस प्रकार विधिसंगत हैं, यह नहीं बतलाया गया है। ऐसी दशा में प्रथमदृष्टया प्रकरण आवेदक के पक्ष में नहीं होने से अपर आयुक्त व्दारा आवेदक का स्थगन आवेदनपत्र खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपर आयुक्त के अभिलेख व आदेश पत्रिकाओं से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने आवेदक की निगरानी अपने आदेश दिनांक 11-3-93 व्दारा समयावधि बाह्य होने से खारिज की गयी है। ऐसी दशा में अपर आयुक्त के अन्तरिम आदेश दिनांक 18-6-87 के विरूध्द राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी निष्प्रभावी हो चुकी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0